उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या : 1340 / VIII / 19–01(श्रम) / 2005
देहरादून: दिनांक 03 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, ब्वॉयलर अधिनियम, 1923, (केन्द्रीय अधिनियम) के अंतर्गत ब्वॉयलर अटैण्डेण्टस नियमावली, 2011, के नियम **9** प्रस्तर **(1)** व **(2)** के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य में ब्वॉयलर्स अटैण्डेण्टस को certificate of proficiency निर्गत करने तथा परीक्षा आयोजित कराने के लिये परीक्षकों के बोर्ड (Board of Examiners) का गठन निम्नवत् करने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1.	मुख्य निरीक्षक ब्वॉयलर, उत्तराखण्ड	– अध्यक्ष (पदेन)
2.	सहायक निदेशक ब्वॉयलर, उत्तराखण्ड	– सचिव(पदेन)
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की के यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	– सदस्य
4.	जी0बी0 पंत कृषि एवं अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय के यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	– सदस्य
5.	भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लि0, हरिद्वार के कारखाना प्रमुख द्वारा नामित ऐसे अधिकारी जिन्हें ब्वॉयलर के संचालन संबंधी दैनिक व प्रायोगिक ज्ञान हो।	– सदस्य
6.	आई0जी0एल0, काशीपुर के कारखाना प्रमुख द्वारा नामित ऐसे अधिकारी जिन्हें ब्वॉयलर के संचालन संबंधी दैनिक व प्रायोगिक ज्ञान हो।	– सदस्य
7.	डोईवाला चीनी मिल, डोईवाला के कारखाना प्रमुख द्वारा नामित ऐसे अधिकारी जिन्हें ब्वॉयलर के संचालन संबंधी दैनिक व प्रायोगिक ज्ञान हो।	– सदस्य

2. पदेन सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्यों का कार्यकाल ब्वॉयलर अटैण्डेण्टस नियमावली, 2011 के नियम 10 के अनुसार तीन वर्ष होगा, किन्तु प्रतिबंध यह रहेगा कि जहां किसी सदस्य का उत्तराधिकारी उक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के दिनांक को अथवा उसके पूर्व गजट में अधिसूचित न किया जाये तो वह सदस्य अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद भी उस समय तक जब तक कि उनका उत्तराधिकारी गजट में अधिसूचित न कर दिया जायें, पदधारण करेगा।

3. उक्त बोर्ड, ब्वॉयलर अटैण्डेण्टस नियमावली, 2011 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्य करेंगे।

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1340 (1)/VIII/2019-01(श्रम)/2005, तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, ब्वॉयलर अटैण्डेण्टस परीक्षकों का बोर्ड, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, ब्वॉयलर अटैण्डेण्टस, परीक्षकों का बोर्ड, उत्तराखण्ड।
3. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड ।
4. ब्वॉयलर अटैण्डेण्टस, परीक्षकों के बोर्ड के समस्त सदस्य
5. निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए इसकी 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश नारायण पाण्डेय)
अपर सचिव।